International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उत्तराखंड में पलायन की अवधारणा एवं पर्वतीय क्षेत्र से पलायन – एक अध्ययन

इन्द्र मोहन पन्त[1], प्रो0 कैलाश चन्द्र[2]

[1]शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, एम.बी.रा.स्ना.महा. हल्द्वानी (नैनीताल)
[2]विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, एम.बी.रा.स्ना.महा. हल्द्वानी (नैनीताल)

पलायन की अवधारणा

प्रवास अथवा पलायन का अर्थ एवं परिभाषा – प्रवास अँग्रेजी के शब्द ''माइग्रेशन'' का हिन्दी रूपांतरण है जिसका शाब्दिक अर्थ है– देशांतर निवास। प्रवास का अर्थ है अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना यहाँ वहाँ स्थाई या अस्थाई निवास करना और अपने मूल स्थान से संपर्क बनाये रखना तथा कभी कभी आते जाते रहना। इस सम्बन्ध में प्रो0 डी0 डी0 शर्मा ने अपनी पुस्तक "उत्तराखण्ड का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास" में स्पष्ट किया हैं कि **''प्रवजन अभावग्रस्तता से संकटापन्न क्षेत्र से सम्पन्न सुरक्षित क्षेत्र की ओर जाने के कारण से होता है।'**

जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक है प्रवास। जन्मता एवं मृत्यु तक जनसंख्या के अभिन्न अंग हैं परंतु प्रवास अन्य दो घटकों से पूर्णता भिन्न है। प्रवास मुख्य रूप से जहां एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यैक्तिक परिस्थितिजन्य घटक है। वही जनम्ता व मृत्युता का संबंध जैविक पक्ष से है। **सामान्य रूप से जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत प्रवास या पलायन को निवास स्थान में स्थाई या अस्थाई का अर्थ अर्द्ध स्थाई परिवर्तनों से संबंध कर देखा जा सकता है और यह स्थिति परिवर्तन के मूल विचार से जुड़ी हुई है।** स्थानांतरण या पलायन इसी मूल स्थान से उत्पन्न होकर एक लक्ष्य स्थल या गंतव्य स्थान तक पूर्ण होता है।

विस्तृत शब्दों में प्रवास या पलायन स्थान परिवर्तन प्रक्रिया नहीं है अपितु इसके अंतर्गत कार्यों सामाजिक संबंधों संबद्धता की भावना, मूल्य, मान्यताओं इत्यादि का मूल स्थान से गंतव्य स्थान पर स्थानांतरण होता है। संयुक्त राष्ट्र बहु भाषाई जननांकीय की शब्दकोश के अंतर्गत जनसंख्या प्रवास को एक विशिष्ट संदर्भ में प्रस्तुत परिभाषित किया गया है।

बीजर के अनुसार, ''सामान्यतः प्रवास, जनसंख्या के समान पुनः वितरण संस्थिति एवं प्राप्त मानव शक्ति की अधिकतम उपयोग की व्यवस्था के लिए एक आवश्यक तत्व हैं ।'

डेविस एम् हीर के अनुसार प्रवजन का अर्थ है अपने स्वाभाविक निवास को परिवर्तित कर देना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवजन निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण का एक स्वरुप है ।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण :–

इतिहास की शुरूआत से ही गतिशीलता मानव की एक अनिवार्य विशेषता रही है। लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व मानव की आबादी के विस्तार में प्राचीन मानव ने यह प्रदर्शित किया है कि स्थानान्तरण या प्रवजन मानव का अनिवार्य व्यवहार है जो राज्यों के निर्माण होने के बाद तथा समाज के व्यवस्थित होने के बाद सीमित हो गया।

वर्ष 1846 से 1893 तक के समय को प्रवास के हिसाब से बहुत महत्तवपूर्ण माना जाता है या इसे प्रवजन का चरम काल भी कहा जाता है। इस समय 50 लाख लोगों ने यूरोप को छोड दिया। इनके मुख्य गंतव्य स्थान सयुंक्त राज्य अमेरिका (38 लाख), कनाडा (7 लाख) अर्जेन्टीना (7 लाख) ब्राजील (4.6 लाख) आस्ट्रेलिया, न्यजीलैण्ड तथा दक्षिणी अफ्रिका (2.5 लाख) थे। यह पूरा कालक्रम औद्योगिक क्रान्ति का दौर था। यूरापे से अत्यधिक सख्या में लोग काम की तलाश में अन्यत्र स्थानान्तरित हुए। एक ओर बडी सख्या में लोग आयरिश यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका व आस्ट्रेलिया गये वहीं दूसरी ओर 700,000 लोगों का इग्लैंण्ड, स्काटलैण्ड व वेल्स के उद्योगों में रोजगार हेतु आए। इस प्रकार वर्तमान प्रवास को सर्वप्रथम मान्यता मिली। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1882 की काग्रेंस में सामान्य उत्प्रवास हेतु कानून का सृजन किया

उत्तराखण्ड में पलायन का स्वरुप– उत्तराखंड में पलायन के स्वरूप व प्रकारों के विषय में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है उत्तराखंड में यदि पलायन के विषय में चर्चा की जाय तो मुख्यतया यहाँ 4 प्रकार के पलायन देखने को मिलता है। दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास,

आकस्मिक प्रवास तथा स्थायी प्रवास इसमे क्रमशः प्रथम तीन सामान्य हैं, जबकि आखरी प्रकार द्वारा ही उत्तराखंड की जननांकीय में भारी परिवर्तन आ रहें है।

पलायन के प्रथम चरण में लोग गाँव से पर्वतीय कस्बों की और फिर पर्वतीय कस्बों से मैदानी क्षेत्रों की और पलायन कर रहे हैं।

पलायन के स्वरूप को आर0 एस0 बोरा द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया गया है–

क्र0 सं0	प्रमुख कारण	प्रतिशतता
1	**आर्थिक कारण**	
	(अ) न्यून पारिवारिक आय	41.00
	(ब) बेरोजगारी	16.40
	(स) बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश	9.80
2	**संबधियों द्वारा उत्प्रेरित**	13.10
3	**अन्य कारण**	
	(अ) कृषि कार्य में अरूचि	3.30
	(ब) योग्यतानुसार रोजगार का अभाव	9.80
	(स) सेवा स्थानान्तरण	6.60 कुल– 100

बोरा आर एस, माइग्रेशन फ्रॉम यूपी हिल्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेन्सस।

पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवजन/पलायन/प्रवास :– राज्य गठन के 19 वर्ष से अधिक समय गुजरने के बावजूद पलायन की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसका असर पहाड़ के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के साथ ही राजनीतिक ढांचे पर भी पड़ा। पलायन से पहाड कमजोर हो गया। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पहाड़ को नुकसान उठाना पड़ा है। आलम यह है कि पलायन के कारण जनसंख्या घटने से पहाड़ की छह विधानसभा सीटें खत्म हो गई, जिससे राज्य की विधानसभा में पहाड़ की आवाज कमजोर हुई है।

पहाड़ों से हो रहा पलायन सूबे की राजनीति पर भी असर डाल रहा है। जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से पिछले दशक के दौरान राज्य के दो प्रमुख जनपदों पौड़ी और अल्मोड़ा में जनसंख्या घट गई। ये तथ्य दोनों जनपदों से हो रहे पलायन की ओर इशारा करते हैं। यही नहीं सुख–सुविधाओं की खातिर लोग पर्वतीय जनपदों के भीतर भी पलायन कर रहे हैं। इन जिलों के कस्बों और शहरों में गांव से हो रहे पलायन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। राज्य निर्माण के बाद बाद रहा पलायन उत्तराखंड के विकास प्रशासन के उपर प्रश्नचिन्ह है जो विभिन्न प्रकार के दावों की पोल खोलता है।

पलायन आयोग :– पलायन की वर्तमान गति को ध्यान में रखते हुए पहले कदम के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास व **पलायन आयोग की स्थापना** पौड़ी गढ़वाल में की गयी है। इस रिपोर्ट में शब्दशः कहा गया है कि

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पलायन की समस्या को हल करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है; जिसे ग्रामीण विकास, पर्यटन की मजबूती, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती आदि पर अधिक जोर देने के माध्यम से हल किया जा सकता है। ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने और पलायन की चनुौती से निपटने के उद्देश्य से, सरकार ने पिछले साल अगस्त में ग्राम्य विकास एव पलायन आयोग का गठन किया है। आयोग, जिसका कार्यालय पौड़ी में है; ने ग्रामीण पलायन और संबधित सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर इस अंतरिम रिपोर्ट को तैयार किया है। यह रिपोर्ट राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित विकास के लिए राज्य सरकार को मूल्यवान जानकारियां देगी और आयोग को ग्राम्य विकास एवं पलायन पर अपना काम आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

सुविधाओं का अभाव है पलायन का मूल : नेगी

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे मुख्यालय

संवाद सहयोगी, पौड़ी : उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष कुमाऊं मंडल व गढ़वाल मंडल के भ्रमण के बाद आयोग के मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। उन्होंने भ्रमण के दौरान ग्रामीणों की राय को साझा किया। उन्होंने कहा कि पलायन को लेकर पीड़ित व प्रभावितों से मिलकर उनसे राय-शुमारी को लेकर भ्रमण किया गया। ग्रामीण पलायन के पीछे मूलभूत सुविधाओं के अभाव को ही मूल कारण बता रहे हैं। उन्होंने जनपद पौड़ी के ब्लॉक मुख्यालय कोट में भी ग्रामीणों से पलायन पर विचार-विमर्श किया।

मंगलवार को उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. शरद सिंह नेगी कुमाऊं व गढ़वाल मंडल भ्रमण के बाद आयोग के मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को हरिद्वार के चिड़ियापुर गांव से पलायन पर ग्रामीणों से राय-शुमारी को लेकर क्षेत्र भ्रमण शुरू हुआ था। जो कुमाऊं मंडल के ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा व गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद में 25 नवंबर तक चला। डॉ. नेगी ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान 11 गांवों के करीब 2 हजार लोगों ने अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को पलायन का मूल कारण बताया है।

ग्रामीणों ने गांव में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर पलायन स्वतः थमने की राय जाहिर की है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. नेगी इसके बाद ब्लाक मुख्यालय कोट के सभागार में ग्रामीणों से पलायन पर विचार-विमर्श किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख कोट सुनील लिंगवाल ने कहा कि सरकार स्वरोजगार को लेकर जो भी प्रशिक्षण देती है, लेकिन उसका कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है। जिससे वह प्रशिक्षण औपचारिकता बनकर सिमट जाता है।

ग्राम प्रधान तुणख्या रेखा देवी ने कहा कि गांवों में शिक्षा की स्तर बहुत ही चिंतनीय है। जिस कारण ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गुसाईं ने कहा कि पहाड़ में स्वरोजगार को लेकर प्रशिक्षण केंद्र बड़े स्तर पर खोले जाने चाहिए। कार्यक्रम का संचालन बीडीओ सुरेंद्र दत्त नौटियाल ने किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त ग्रामीण विकास एके राजपूत, पीडी एसएस शर्मा, डीडीओ वेद प्रकाश, धर्मवीर सिंह नेगी, गिरीश चंद्र आदि मौजूद थे।

पौड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी।

पलायन आयोग जिसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 2018 में प्रस्तुत की।

<u>पलायन के प्रमुख कारण–</u>उत्तराखंड में पलायन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं –

1–**भौगोलिक परिस्थिति :–**उत्तराखंड में पलायन का प्रमुख कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है। भौगोलिक रूप से असमानता लिए हुए इस प्रदेश में विकास, रोजगार व मूलभूत सुविधाओं का आधारभूत ढाँचा स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाय जो की केवल 26 प्रतिशत है, तो पहाड़ों पर प्रत्येक मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ता है। कभी अत्यधिक वर्षा से आपदा कभी सूखा। पूरे वरतवर्ष को सिंचाई हेतु जल प्रदान करने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है। मौसम की असमानता ने दोहरी मार देने का काम किया है।

2 **कृषि उत्पादकता की न्यूनता :–** पर्वतीय क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं जिसके कई कारण हैं जैसे सिंचाई के साधनों की कमी। खेती पूर्णतया वर्षा कर ऊपर निर्भर है वर्षा के ना होने पर स्थिति विकट रूप ले लेती है, सीढ़िदार खेतों में नवीन तकनीकों का प्रयोग संभव नही है नवीन तकनीकों द्वारा कृषि करने पर जहाँ मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है पर्वतीय क्षेत्र पूर्ण रूप से अछूते हैं। परिवार के सदस्यों की संख्या में तो बड़ोत्तरी हो रही है परंतु उत्पादन में गिरावट आ रही है। जिसने पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का कृषि से मोहभंग कर दिया है तथा लोगों ने अपना प्रमुख व्यवसाय छोड़ना शुरू कर दिया है।

3– आधारभूत विकास एवं सुविधाओं की कमी :– आजादी के 65 वर्षों के बाद भी विकास की दौड़ में उत्तराखण्ड काफी पीछे रह गया है। यहाँ का 75 प्रतिशत से अधिक भू–वग पर्वतीय होने के कारण वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया है। यहाँ के स्थानीय निवासी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी मीलों दूर पैदल यात्रा करते हैं । उत्तराखण्ड के कई जिलों, ब्लॉकों एवं गाँवों में स्वच्छ पेयजल, निर्बाध विद्युत वितरण, चिकित्सा सुविधा, बेहतर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विकसित बाजार, पक्की सड़क, नियमित परिवहन एवं संचार की बेहतर सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हैं ।

4– **शिक्षा–** प्राथमिक व माध्यमिक तथा परम्परागत उच्च शिक्षा तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी उपलब्ध है परंतु रोजगारपरक शिक्षा संस्थानों का पर्वतीय क्षेत्रों में अभाव है। पर्वतीय क्षेत्रों के युवा तकनीकी शिक्षा हेतु अपने घरों से जाते हैं तथा शिक्षा पूर्ण करने के बाद रोजगार प्राप्त करके अच्छे रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर जाते हैं तथा वहीं के होकर रह जाते हैं।

5– निम्न पारिवारिक आय :– उत्तराखण्ड़ एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। परम्परागत कृषि एवं पशुपालन के लिए निरंतर घटते मानवीय श्रम एवं आधुनिक जीवन की चकाचौंध एवं सुविधापूर्ण जीवन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त आय के अभाव के कारण उत्तराखण्ड की युवा पीढ़ी शहरों या मैदानों में स्थापित उद्योगों एवं अन्य संस्थानों में नौकरी प्राप्त करके अपने परिवार की आय को बढ़ाना चाहते हैं । अतः यह पलायन का एक महत्वपूर्ण कारण है।

6– शहरी जीवन का आकर्षण :– उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति एवं सामाजिक संरचना ग्रामीण जीवन के अनुरूप है। यहॉ के मूल निवासियों का जीवन काफी संघर्षपूर्ण एवं कष्टों से भरा हुआ है। उनके जीवन में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी कड़ा श्रम एवं काफी पूँजी व्यय होती है। मैंदानी क्षेत्रों का जीवन सुविधा सम्पन्न एवं सुखद है, जहाँ हर वस्तु सस्ती एवं सुलभ है। आधुनिक युग में सुविधासम्पन्न एवं समृद्ध शहरी जीवन का आकर्षण सुदूरवर्ती ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहॉ के जीवन में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन, इत्यादि के सुलभ साधनों की चाह में निरन्तर ग्रामीण शहरी क्षेत्रो को प्रव्रजित होते आ रहे हैं।

7– रक्षा क्षेत्र में रोजगार की परम्परा– प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना को सिपाहियों की आवश्यकता हुई तो ब्रिटिश सेना में सारे भारत से भारतीय सिपाहियों की भर्ती हुई । इस अवसर को पाकर उत्तराखण्ड से भी कई नौजवान सेना में भर्ती हुए तथा अपना बलिदान दिया । यहीं से रक्षा क्षेत्र में रोजगार पाने की परम्परा का आरम्भ हुआ । ये युवा जब बाहरी संसार में घूमकर लौटे तथा अपने अनुभव गाँवों में बाँटने लगे तो उनसे प्रवावित होकर शेष ग्रामीण युवाओं में भी सेना की नौकरी की चाह बढ़ने लगी । चमोली, पौढ़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर इत्यादि जिलों के युवा कई पीढ़ीयो से वरतीय सेना में अपनी सेवायें दे रहे हैं। इनमें से कई युवा नौकरी के दौरान स्थानान्तरण द्वारा तथा सेवा निवृत्ति के उपरान्त किसी सुविधा सम्पन्न स्थान में प्रव्रजित होकर रहने लगते हैं। आज उत्तराखण्ड के कई शहरों तथा अन्य वरतीय महानगरों में सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवार निवास करते हैं, जो उत्तराखण्ड के किसी न किसी गाँव से प्रव्रजित होकर आये हैं। सेना में सेवा दे रहे लोगों के परिवारों में एक विशिष्ट प्रकार का पलायन प्रतिमान देखने को मिल रहा है जहाँ पहले वह अपने गाँवों से पर्वतीय कस्बों में बच्चों की शिक्षा हेतु आते हैं इसके पश्चात् मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रव्रजित हो जाते हैं।

8 रोजगार के साधनों का अभाव :– उत्तराखंड में पलायन की घटना कोई आज की घटना नही है बल्कि यह उत्तराखंड राज्य के निर्माण से पूर्व भी जारी था रोजगार की न्यूनता पूर्व से ही यहाँ के लिए एक प्रमुख समस्या रही है। उत्तराखंड के लोग अपनी वीरता के लिए पहले से ही विख्यात हैं अभी भी प्रत्येक गाँव से एक व्यक्ति सेना में सेवा दे रहा है परंतु अब रोजगार के लिए बाहर जा रहे लोग सेना के लिए ही बाहर नही जा रहे। मैदानों में ओद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना, बेहतर शैक्षिक व शहरी जीवन, परिवहन व संचार के साधनों की उपलब्धता से आकर्षित होकर ग्रामीण युवा वग शहरों की ओर प्रव्रजित होता है।

9 रिश्तेदारों से प्रेरित:– उत्तराखण्ड में पलायन सदियों से अनवरत जारी है। जो लोग पूर्व में प्रव्रजित हो चुके हैं, वो छुट्टियों एवं त्योहारों में जब अपने घरों एवं गाँवों में लौटकर जाते हैं, तो वे शहरी जीवन की चकाचौंध एवं सुख–सुविधाओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते है। बेहतर जीवन एवं अधिक आय प्राप्त करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहे लोग अपने मूल स्थान से चले जाते हैं। कुछ समय तक वे उन्हीं के साथ रह कर संघर्ष करते हैं, यदि उन्हें रोजगार मिल जाता है तो वे धीरे–धीरे स्वतंत्र होकर अपने परिवार के अन्य सदस्यों एवं मित्रों कोभी पलायन हेतु प्रेरित करते हैं यह सिलसिला विगत कई वर्षों से यूँ ही चल रहा है।

आर एस बोरा जी के अध्ययन का विश्लेषण करें या मैदानी भागों मे रह रहे प्रव्रजित हो चुके लोगों से बात करने पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मैदानी भागों में उनके किसी मित्र या रिश्तेदार ने उन्हें भूमि दिलायी। प्रव्रजित हो रही जनसंख्या में एक बड़ा वर्ग वा हो जो इसी प्रतिमान से प्रव्रजित हो रहा है।

10 जलवायु –उत्तराखण्ड अन्य हिमालयी राज्यों की भाँति हिमालय की गोद में बसा होने के कारण प्राकृतिक परिवर्तनों एवं आपदाओं का प्रमुख केन्द्र है। वर्षा ऋतु में अकसर बादल फटने की घटनायें होती रहती हैं जिससे नदियों व नालों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तीव्र जलभराव से यहाँ पर भूस्खलन, भूकटाव व वनों व कृषि भूमि का ह्रास होता है। इसके साथ ही गर्मियों में चारे की अनुपलब्धता के कारण कई ग्रामीण वनों में आग लगा देते हैं ताकि जंगली वनस्पति की जगह बाद मे घास उग सके, किन्तु यही आग दावाग्नि का रूप लेकर कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पेड़–पौधों व जड़ी–बूटियों को जलाकर समाप्त कर देती है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बाँध इत्यादि के निर्माण के कारण उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों का विस्थापन इन्हीं का उदाहरण है।

11 स्थानान्तरण–उत्तराखण्ड की अधिकांश शिक्षित जनसंख्या सरकारी या अर्द्धसरकारी सेवाओं में कार्यरत है। भौगोलिक विषमता के कारण सभी सरकारी विवगों के मुख्यालय सुविधा की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों या जिला मुख्यालयों में स्थित हैं । अतः वे कर्मचारी जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सेवारत हैं वे सभी आधारभूत सुख–सुविधाओं से वंचित हैं तथा अपने परिवारों से दूर हैं। जबकि मुख्यालयों व शहरों में स्थित कार्यालयों में सेवारत कर्मचारी सभी सुविधाओं के साथ पारिवारिक जीवन का आनन्द ले रहे हैं।

अतः उक्त समस्या के निदान हेतु दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी किसी भी तरह से स्थानान्तरण करवा कर मैदानी क्षेत्रों में प्रव्रजित होते रहते हैं ताकि उनके परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधायें मिल सके।

उत्तराखण्ड सरकार के प्रयास–

उत्तराखण्ड में पलायन की समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के गठन को सुनिश्चित किया है। आयोग की संरचना निम्नवत है।

संरचना

- अध्यक्ष : मुख्यमंत्री

- उपाध्यक्ष : एक
- सदस्य : पांच
- सदस्य सचिव : प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास
- अपर सदस्य सचिव : अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण विकास

आयोग का कार्यालय पौढ़ी में है। इसने अप्रैल 2018 में में उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस हेतु प्रयास किये गये हैं जिससे इस द्रुत गति को कम किया जा सके। 11 सितम्बर 2021 को इस हेतु **मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना** को प्रारम्भ किया गया है जिसमें निम्न कार्ययोजना बनायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा राज्य मे पलायन रोकने तथा इस हेतु राज्य स्तर पर पलायन प्रभावित गांवों के लिय ठोस कार्ययोजना तैयार करने के लिये ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है। 50 प्रतिशत तक पलायन से प्रभावित राजस्व गांवों की सूची ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष अन्य जनपदों के लगभग 474 राजस्व ग्राम आयोग द्वारा ऐसे चिन्हित किये गये जिनमें 50 प्रतिशत तक पलायन हुआ है। इन गावों का पंचायत वार मैपिंग संबंधित जनपदों से कराये जाने के पश्चात ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सहमति से उक्त सूची को अंतिमीकृत किया गया है।

उपरोक्त राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से विभिन्न विभागों के माध्यम से पलायन रोकने हेतु संचालित महत्वपूर्ण आजीविका सृजन तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जानेवाली योजनाओं के माध्यम से संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है। संतृप्तीकरण हेतु **मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना** (Mukhiya Mantri Playan Roktham Yojana) ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से गठित की गई है। इस धनराशि का उपयोग समस्त रेखीय विभागों द्वारा पलायन प्रभावित गांवों में पलायन रोकने की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा तथा उपयोग प्रमाणपत्र प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

सन्दर्भ सूची :–

- जननांकी डी एस बघेल किरण बघेल विवेक प्रकाशन दिल्ली पृष्ठ 465
- शर्मा डी डी उत्तराखंड का सामाजिक एवम् सांस्कृतिक इतिहास भाग–2, 2003
- बीजर जी, डेमोग्रॅफिक सोशियल एंड एकानामिक एस्पेक्ट ऑफ नॅशनल माइग्रेशन इन सम कॅट्रीज, पेपर, यू एन ओ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉग्रेस पृष्ठ 190
- Heer davis m &kingsley the population of India and Pakistan, New York: rusell and rusell,1951.
- Uno, Annual report, 1961.
- ibid.
- बोरा आर एस, माइग्रेशन फ्रॉम यूपी हिल्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेन्सस।
- पलायन आयोग रिपोर्ट 2018